

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:

जयपुर, दिनांक:

विज्ञप्ति

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/1995, आई.ए. संख्या 41723/2022 में ओरण एवं पारिस्थितिकी क्षेत्रों को डीमड फॉरेस्ट घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में **करौली जिले** की संलग्नक में अंकित भूमियों को डीमड फॉरेस्ट घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि यदि वे इस संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव इत्यादि देना चाहे तो वे अद्योहस्तक्षारकर्ता अथवा भरतपुर संभाग के मुख्य वन संरक्षक के ई-मेल ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in (फोन नं. 05644-226017) एवं करौली जिले के उप वन संरक्षक के ई-मेल dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in (फोन नं. 07464-250019) को दिनांक 03.03.2024 तक लिखित रूप में भेज सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उचित निर्णय के पश्चात इन भूमि को डीमड फॉरेस्ट के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे। उक्त आपत्तियां विभाग के ई-मेल apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

अनुसूची (डीमड फोरेस्ट)

क्र. सं.	जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	भूमि की किस्म	स्वामित्व	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करौली	करौली	बरखेडा	431/1	चारागाह	ग्राम पंचायत	5.47
योग							5.47

(पी.के. उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त),

राजस्थान, जयपुर

कमरा नं. ए-114,

फोन नं.-0141-2700073, 9460296755

ई-मेल-apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in